फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत–सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा

वादी/प्रार्थी

नरेश कुमार पुत्र हिराराम जाति माली उम्र (?) साकिन पावली तह. जसवंतपुरा

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी

भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा।

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / प्रार्थना पत्र नंबर – 8/2019 /20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.19	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रणछोड़राम द्वारा प्रा० पत्र बाबत U/s 136 LR Act 1956 विरूद्ध ~~प्रतिवादीगण~~ / अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 28/11/2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	
28.11.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व प्रार्थी साक्ष्य रूपाराम हाजिर। प्रार्थी साक्ष्य रूपाराम द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र पेश का ब्यान कलमबद्ध करवाये गये, जो शामिल मिसल किये गये। निगल वास्ते निर्णय/बहस तारीख 3.12.19 को पेश हो।	रूपाराम नरेशकुमार सुरेशकुमार
3.12.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता हाजिर। अप्रार्थी तहसीलदार जसवंतपुरा बावजूद नोटिस तामील के गैर हाजिर रहे अतः अप्रार्थी तहसीलदार जसवंतपुरा के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि सरहद मौजा पावली के आराजी खसरा नं. 697, 702, 703, 751, 952, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 जुमले रकबा 11.82 है० राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारी पुश्तैनी दर्ज है। जरिये फौतगी नामांतरकरण उक्त पुश्तैनी खातेदारी में मानाराम, मसराराम, नरसाराम व सुरेशाराम पिस० हिराराम दर्ज किया गया, जिसमे प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेशकुमार व सुरेश कुमार है। अतः उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज नाम नरसाराम व सुरेशाराम पिस० हिराराम के स्थान पर नरेशकुमार, सुरेशकुमार पिस० हिराराम कौम माली सा० देह खातेदार दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किये जाने, से एकतरफा कार्यवाही की गई व प्रार्थीना द्वय ने रूपाराम पुत्र सोनाजी के ब्यान कलमबद्ध करवाये गये।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, दस्तावेजों व प्रकरण का अवलोकन किया। बाद विवेचन उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 136

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जि. जालोर (राज.)

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... प्रकरण संख्या ..../.............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	LRA स्वीकार कर उक्त आराजी में नरसाराम व सुरेशराम पि० हिराराम के स्थान पर नरेशकुमार, सुरेशकुमार पि० हिराराम कौम माली सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र बाबत U/S 136 LRA स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मौजा पावली के आराजी खा० नं. 697, 702, 703, 751, 952, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 कुल रकबा 11.82 है० में दर्ज नाम नरसाराम व सुरेशराम पि० हिराराम कौम माली सा. देह खातेदार के स्थान पर नरेशकुमार, सुरेशकुमार पि० हिराराम कौम माली सा. देह खातेदार दर्ज किये किये जाने हेतु तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है। तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	

Scanned by CamScanner